संख्या-10/2019/16/12-5-2019-ब०-11/2018

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 08 फरवरी, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-प्रशि०/426/पुनर्विनियोग/2018-19, दिनांक 31.12.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय में रू० 5.70 लाख एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू० 4.15 लाख अर्थात् कुल रू० 9.85 लाख (रू० नौ लाख पच्चासी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के मानक मद 01-वेतन में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 277-शिक्षा, 03-राजकीय कृषि विद्यालय योजना के मानक मद 49-चिकित्सा व्यय एवं 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-10/2019/16(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

प्रपत्र–बी0एम0–09 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर 150)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व नीचे दिये अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम –11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)
प्रपत्र बी0एम0- 09

वित्तीय वर्ष 2018–19

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकलन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या–11 2 4 1 5 0 1 2 7 7 0 3 0 0 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01–फसल कृषि कर्म 277–शिक्षा 03–राजकीय कृषि विद्यालय 01–वेतन	563.88	9.85	9.85	9·85	554·03
मूल योग	563.88	9.85	9.85	9·85	554·03

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकलन				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकलन की धनराशि	संकलन के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या–11 2 4 1 5 0 1 2 7 7 0 3 0 0 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा 01–फसल कृषि कर्म 277–शिक्षा 03–राजकीय कृषि विद्यालय 48–चिकित्सा व्यय	2.40	8.10	5.70	5·70	8·10
52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	33.02	37.17	4.15	4·15	37·17
	35.42	45.27	9.85	9·85	45·27

(रु0 नौ लाख पचासी हजार मात्र)

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :
अ–वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।
2–स्तम्भ 8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–
ब–कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन एरियर एवं चिकित्सा व्यय आदि के भुगतान हेतु आवश्यकता है।
3 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आ0व्य0–313/दस–1–ख–2019, दिनांकः 29-1-19
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर...... ....
29/1/19
नाम व पदनाम........(नीलेश कुमार सिंह)
उप सचिव
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या– 16 /12–5–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/ऑडिट प्रथम, इलाहाबाद।
(2) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(नरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।